न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/33/2019

अपीलार्थीः–	**प्रत्यर्थीः–**
बजरंग सिंह पुत्र नौबत सिंह राजपूत ग्राम विजयनगर पो0 खुर्दरोठ तहसील नीमराना जिला अलवर।	**लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर**

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: **निर्णय** ::--- **दिनांकः– 11.06.2019**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.03.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।

2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.05.2019 को उपस्थित आवें।

4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी दिनांक 21.05.19 को उपस्थित होकर प्रा0पत्र पेंश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 950–51 दिनांक 03.06.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रथम अपील दिनांक 01.05.19 में वर्णित प्रथम प्रा0पत्र0 दिनांक 23.03.19 जो कार्यालय को दिनांक 25.03.19 को प्राप्त हुआ के संबंध में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को यू.ओ. नोट क्रमांक 58 दिनांक 29.03.19, स्मरण पत्र संख्या 723 दिनांक 25.04.19 व पत्रांक 785 दिनांक 02.05.19 के माध्यम से जवाब भिजवाने बाबत लिखे जाने बावजूद भी जबाव किसी भी प्रकार का आदिनांक तक अप्राप्त होना बताया गया है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में व्याप्त निर्देशों की अवलेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। साथ ही जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में अपील स्वीकार करनी पडती हैं। अतः प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अपीलों में यू.ओ. नोट/स्मरण पत्र जारी होने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध नहीं करने में हुए विलम्ब का भी स्पस्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।

   निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)